अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति एवं संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

एमबीए/एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग कार्यक्रम (प्रथम चरण), सत्र 2012–13

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के घोषित परिणामों के आधार पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार (मेरिट सूची तथा प्रतीक्षा सूची के समस्त उम्मीदवार) तालिका में दिये गये कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गाँव से, अधिकृत सहायता केन्द्रों से अथवा एमपीऑनलाइन के मध्यप्रदेश स्थित किसी भी कियोस्क से वेबसाईट www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। अधिकृत सहायता केन्द्रों–सह–कियोस्क केन्द्रों की सूची उपरोक्त दोनों वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी ।

//समय–सारणी//

पाठ्यक्रम	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	दस्तावेजों का सत्यापन #	इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना	आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता एवं आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश	अपग्रेडेशन* का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना	अपग्रेडेशन के पश्चात आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता तथा आवंटित संस्थानों में उपस्थिति एवं प्रवेश
एमबीए (फुल/पार्ट टाईम) पाठ्यक्रम (एमईटी 2012 आधारित)	19/07/2012 से 30/07/2012 सांय 3 बजे तक	19/07/2012 से 30/07/2012 (प्रातः 10:30 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	19/07/2012 से 30/07/2012 रात्रि 11:45 बजे तक	04/08/2012 से 08/08/2012 सांय 6:00 बजे तक	04/08/2012 से 08/08/2012 रात्रि 11:45 बजे तक	11/08/2012 से 14/08/2012 सांय 5:00 बजे तक
एमसीए पाठ्यक्रम (प्री एमसीए 2012 आधारित)	19/07/2012 से 30/07/2012 सांय 3 बजे तक	19/07/2012 से 30/07/2012 (प्रातः 10:30 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	19/07/2012 से 30/07/2012 रात्रि 11:45 बजे तक	04/08/2012 से 08/08/2012 सांय 6:00 बजे तक	04/08/2012 से 08/08/2012 रात्रि 11:45 बजे तक	11/08/2012 से 14/08/2012 सांय 5:00 बजे तक

महत्वपूर्णः– प्रत्येक कार्यवाही उपरांत ऑनलाइन रसीद अवश्य प्राप्त करें।

➢ इस काउंसलिंग में अनारक्षित (UR) श्रेणी (बिना वर्ग) के उम्मीदवारों को दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से नहीं कराना है, वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरांत सीधे ''इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर, प्राथमिकताक्रम को लॉक'' कर सकते हैं।

सभी आरक्षित श्रेणी/वर्ग से प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को **ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरांत अपने दस्तावेजों सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से कराना आवश्यक है तथा** सत्यापन उपरांत ''इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर, प्राथमिकताक्रम को लॉक'' कर सकते हैं। जिन आरक्षित श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को सत्यापन कराना है वे निम्नानुसार हैं:–

- केवल आरक्षित श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थी यथा मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति (ST)/ अनुसूचित जाति (SC)/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) आदि,
- मध्यप्रदेश के समस्त श्रेणी के विकलांग/एन.सी.सी. ''सी'' प्रमाण–पत्रधारी सभी अभ्यर्थी
- जम्मू–कश्मीर निवासी/विस्थापित (J&K Resident/Migrant) के सभी अभ्यर्थी।

- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर देय शुल्क समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये रु 430/– (रु 30/– पोर्टल शुल्क सहित), उक्त शुल्क अप्रतिदेय (नॉन–रिफण्डेबल) होगा।
- ऑनलाइन संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम के चयन उपरांत लॉक करने हेतु, समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों को आंशिक शिक्षण शुल्क रू 1100/– (रू. 100/–पोर्टल चार्जेस सहित) का भुगतान करना होगा।
- शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा/माएस्ट्रो कार्ड) से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर किसी भी अधिकृत सहायता केन्द्रों (काउंसिलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) अथवा एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा किया जा सकता है। **नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने पर अभ्यर्थी को सलाह है कि अपनी सुविधानुसार सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन/च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही इंटरनेट पर कहीं से भी संपादित कर सेव्ह (Save) कर लें तत्पश्चात् ही** किसी सहायता केन्द्र/कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
- अधिकृत **सहायता केन्द्रों (Help Centres)** (जोकि मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य के स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं) की सूची वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

○ **<u>*व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा एमईटी–2012/प्रीएमसीए–2012 के आधार पर आयोजित केवल प्रथम चरण की काउंसिलिंग में अपग्रेडेशन की सुविधा:–</u>**

यदि अभ्यर्थी अपग्रेडेशन के लिये इच्छुक है तो उन्हें प्रथम चरण के वास्तविक आवंटन उपरांत संस्था में रिपोर्ट करने की आश्यकता नहीं है उन्हें प्रिंटआउट में दर्शाई गई **<u>अंतिम तिथि के पूर्व अपना अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन दर्ज करना होगा।</u>** ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडेशन चाहते हैं वे अपग्रेडेशन जारी होने तक इंतजार करें अर्थात उन्होंने जिन संस्थाओं/पाठ्यक्रम के लिये प्राथमिकताक्रम का चयन किया था उनमें से उन्हें आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम के ऊपर की चयनित संस्थाओं/पाठ्यक्रमों के लिये आवंटन हेतु अवसर मिलेगा तथा अपग्रेडेशन होने पर नया आवंटन पत्र प्राप्त करें तथा नये आवंटित संस्था में प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करें। अपग्रेडेशन न होने पर पूर्व में आवंटित संस्था में, नये आवंटन पत्र में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करें। अपग्रेडेशन की सुविधा का विकल्प केवल प्रथम चरण की काउंसलिंग में ही उपलब्ध रहेगा।

○ **प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया** की विस्तृत जानकारी www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेवें।

दि.7/7/12 विक्र 16/2012

हस्ता0/–
अध्यक्ष–काउंसिलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश